"भारत में भौगोलिक संकेत से सम्बंधित समस्याएँ एवं चुनौतियाँ छ.ग. राज्य के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

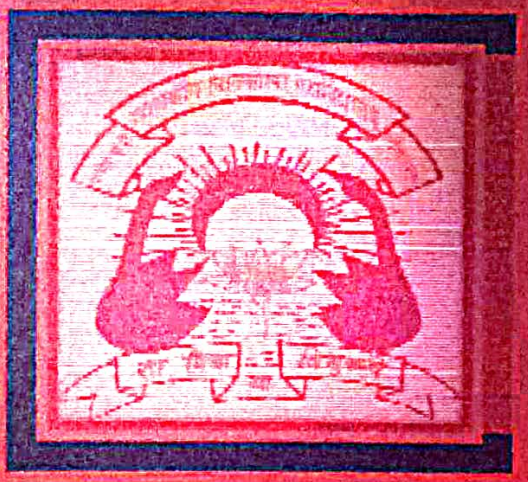

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर (विधि विभाग) की परीक्षा सत्र 2022–23
हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघु शोध प्रबंध

शोध निर्देशक
श्री पंकज अहिरवार
सहा. प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

शोधकर्ता
पूनम भजपूरे
एल एल एम. चतुर्थ सेमेस्टर
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

अध्ययन एवं शोध केंद्र
(विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की **पूनम भजपूरे** एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग की नियमित छात्रा है। इन्होने मेरे निर्देशन में लघु शोध प्रबंध **"भारत में भौगोलिक संकेत से सम्बंधित समस्याएँ एवं चुनौतियाँ छ.ग. राज्य के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"** का अध्ययन पूर्ण किया है।

इनका कार्य मौलिक है मैं इन्हें विधि विभाग में उपाधि प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करता हूँ।

शोध निर्देशक
श्री पंकज अहिरवार
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)
शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.।

छात्रा का नाम
पूनम भजपूरे
रोल न. 230440011
नामांकन न.RGPGLLM/21/011

10/8/23

अध्यायीकरण :–

प्रथम अध्याय :

भूमिका

अध्याय द्वितीय :

भौगोलिक संकेतों की अवधारणायें एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय तृतीय :

भौगोलिक संकेत की रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

चतुर्थ अध्याय :

भारत में भौगोलिक संकेत की स्थिति

पंचम अध्याय :

छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भौगोलिक संकेत की स्थिति

षष्ट अध्यायः

भौगोलिक संकेत से सम्बंधित समस्याएँ एवं इन समस्याओं का निदान हेतु सरकारी प्रयास

सप्तम अध्यायः

भौगोलिक संकेत से सम्बंधित समस्याओं पर सुझाव एवं निष्कर्ष

"दहेज निषेध अधिनियम 1961 की प्रभावकारिता का विश्लेषण"

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर (विधि विभाग) की परीक्षा सत्र 2022–23
हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघु शोध प्रबंध

10/08/23
शोध निर्देशक
पूनम सोनवानी
सहा. प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

शोधकर्ता
सुप्रिया सिंह
एल एल एम. चतुर्थ सेमेस्टर
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

10/8/23

अध्ययन एवं शोध केंद्र
(विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की **सुप्रिया सिंह एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग** की नियमित छात्रा है। इन्होने मेरे निर्देशन में लघु शोध **प्रवंध दहेज निषेध अधिनियम 1961 की प्रभावकारिता का विश्लेषण** का अध्ययन पूर्ण किया है।

इनका कार्य मौलिक है मैं इन्हें विधि विभाग में उपाधि प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करता हूँ।

10/08/23

शोध निर्देशक
पूनम सोनवानी
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)
शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.।

छात्रा का नाम
सुप्रिया सिंह
रोल न. 230440016
नामांकन न.RGPGLLM/21/017

अध्यायीकरण

अध्याय–1

दहेज तथा उससे संबंधित अधिनियमों का उद्‌भव व विकास

1.1 उद्‌भव एवं विकास

1.2 दहेज परिभाषा

1.3 दहेज अवधारणा

1.4 दहेज प्रथा क्यों?

1.5 दहेज के प्रेरक तत्व

1.6 दहेज प्रथा कारण

1.7 दहेज प्रथा का दोष

1.8 दहेज का समाज में प्रभाव

1.9 छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दहेज प्रथा

अध्याय–2

दहेज कानूनों की विधिक व्याख्या

2.1 दहेज कानून

2.2 दहेज प्रति अधिनियम 1961

अध्याय–3

दहेज व उस पर बढ़ते सामाजिक प्रभाव का अध्ययन

3.1 दहेज अपराध व संबंधित कानूनों के प्रावधान

3.2 महिलाओं के विरूद्ध अपराध

3.3 महिलाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों की एक सूची

3.4 दहेज अपराध से संबंधित सांख्यिकीय आंकडे

अध्याय–4

दहेज कानूनों की न्यायिक व्याख्या

4.1 दहेज एवं दहेज मृत्यु संबंधित नवीन मामलें

4.2 दहेज की मांग कि न्यायलयीन व्याख्या

अध्याय–5

निष्कर्ष व सुझाव

5.1 निष्कर्ष

5.2 सुझाव

5.3 संदर्भ

5.4 परिशिष्ट

भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में त्वरित विचारण : एक अध्ययन"

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
एलएल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर (विधि विभाग) की परीक्षा सत्र 2022–23
हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघु शोध प्रबंध

शोध निर्देशक
श्री ब्रजेश कुमार
सहा. प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

शोधकर्ता
अमित कुमार पाण्डेय
एलएल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
नामांकन क्र. RGPGLLM/21/001

10/8/22

अध्ययन एवं शोध केंद्र
(विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की अमित कुमार पाण्डेय, एल.एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग का नियमित छात्र के रूप मे सन् 2022–2023 की मुख्य परीक्षा मे लघुशोध प्रतिवेदन जिसका विषय "**भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में त्वरित विचारण : एक अध्ययन**" राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर माहाविद्यालय, अम्बिकापुर के विधि विभाग मे प्रस्तुत किया।

इनका कार्य मौलिक है मै इन्हे विधि विषय मे उपाधि प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करता हूँ।

शोधकर्ता

अमित कुमार पाण्डेय
एलएल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर
अनुक्रमांक : 230440001
नामांकन क्रमांक रू RGPGLLM/21/001
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
माहाविद्यालय, अम्बिकापुर

शोध निर्देशक

ब्रजेश कुमार
साहायक प्राध्यपक (विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
माहाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0)

10/8/23

अनुक्रमणिका

अध्याय 01 भूमिका	पृष्ठ क्रमांक
1.1 प्रस्तावना	8–13
1.2 साहित्य पुनरावलोकन	13–14
1.3 उद्देश्य	14–15
1.4 प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र मे उल्लेखनिय योगदान	15
1.5 प्रस्तवति शोध पद्धति	15–16
1.6 शोध परिकल्पना	16

अध्याय 02
आपराधिक न्याय व्यवस्था की अवधारणा, अर्थ एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

2.1 आपराधिक न्याय व्यवस्था की अवधारणा	17
2.2 आपराधिक न्याय व्यवस्था का अर्थ :	18
परिभाषा	18
विधि को लागू करने वाली ऐजेसियॉ	18
न्यायालय	19
जेल और परीविक्षा एजेसियॉ	19
2.3 आपराधिक न्याय व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि : अर्न्तराष्ट्रिय स्तर पर	19
प्राचीन मिस्त्र	20
प्राचीन चीन	20
सोगहाई साम्राज्य	21
पूर्व आधुनिक यूरोप	21
औपनिवेशिक अमेरिका	21–22
कांउटी शेरिफ	22
न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट	22–23
पुलिस का आविष्कार	23–24
	24
2.4 भारत मे आपराधिक न्याय प्रणाली की एतिहासिक पृष्ठ भूमिः–	24–25
प्राचीन भारत मे न्याय व्यवस्था	25–27
प्राचीन भारत मे न्यायालय के प्रकार	27–29
न्यायालय और उनका क्षेत्राधिकार	29
न्यायिक प्रक्रिया	30
जूरी का महत्व	30–31
वैदिक काल के दौरान न्याय प्रशासन	31–32
मौर्य काल के दौरान न्याय प्रशासन	32

मौर्य काल के दौरान न्याय प्रशासन	32
गुप्त काल	32–33
मुगल काल	33–34
वर्तमान समय मे पुरानी न्याय प्रणाली की प्रासंगिता	34–35
आधुनिक भारत मे न्यायिक व्यवस्था	35
सर्वोच्च न्यायालय	35
उच्च न्यायालय	36
उच्च न्यायालयों का गठन एवं संरचना	36–37
मूल क्षेत्राधिकार	37
रिट क्षेत्राधिकार	37
अपीलीय क्षेत्राधिकार	37–38
अधीक्षण की शक्ति	38
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण	39
रिकार्ड न्यायालय	39
समीक्षा	39
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का क्रेन्द शासित प्रदेश तक विस्तार	39
2.5 जिला न्यायालय	40
2.6 कानूनों का संहिताकरण	40–42
2.7 भारतीय दण्ड संहिता 1860	43

अध्याय 03

त्वरित न्यायः विकास, अवधारणा एवं अर्थ

3.1 अंगेजी कानून के परिदृश्य मे त्वरित न्याय का विकास	44
मैग्ना कार्टा 1215	44–45
वर्जिनिया अधिकार की घोषणा	45–46
3.3 भारतीय परिदृश्य मे त्वरित न्याय का विकास	46–47
विचारण	47–48
3.4 त्वरित न्याय की अवधारणा	49–51
3.6 त्वरित न्याय का अर्थ	52–53

अध्याय 04

विलम्ब न्याय का कारण

4.1 न्यायिक विलम्ब का अर्थ	54–55
4.2 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कारण	56
न्यायिक विचारण के पूर्व देरी	56–58
समन तामील मे देरी	59–60
लिखित प्रस्तुतियों और दस्तावेज दाखिल करने मे देरी	60
आरोप पत्र तैयार करने मे देरी	61–63

विचारण के दौरान देरी	63
गवाहों की गैर–उपस्थिति	63–64
लम्बी मौखिक बहस	64–65
वकीलों की अनुपस्थिती	65–66
मुकदमे के किसी भी चरण मे आवेदन प्रस्तुत कर देने	66–67
निर्णय की घोषणा मे देरी	67
किसी अभियुक्त या गवाह की मृत्यु रिपोर्ट न मिलिने के कारण देरी	67
जमानतदार द्वारा आरोपी को पेश करने मे देरी	67
अपीलीय कार्यवाही के कारण देरी	67–68
4.3 मूल कारक :	68
न्यायिक रिक्तिया / न्यायाधीशों की नियुक्ति मे देरी	68
न्यायाधीशों के जवाबदेही का आभाव	69
अत्याधिक अवकाश के कारण विलंब	69–70
जनहित याचिका का दुरूपयोग	70–71
गवाहों का मुकर जाना	71
न्यायाधिशों द्वारा विलम्ब	71

अध्याय 05
त्वरित न्याय से सम्बधित अर्न्तराष्ट्रीय एवं विधिक संरक्षण

5.1 त्वरित न्याय से सम्बधित अर्न्तराष्ट्रीय विधिक संरक्षण	72
निष्पक्ष सुनवाई के सार के रूप मे शिघ्र सुनवाई	72–73
त्वरित न्याय मे अर्न्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारण्टी : परिचय	73–74
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) 1948	74
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर) 1966	74–75
मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन (ईसीएचआर) 1950	75
मानवाधिकार पर अमेरिकी कन्वेंशन 1969	76–77
मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर 1981	77–80
कार्यान्वयन और प्रर्वतन	80
त्वरित न्याय के अर्न्तराष्ट्रीय चुनौतियाँ और उपायः	80–81
5.2 त्वरित न्याय से सम्बधित राष्ट्रीय विधिक संरक्षण	81
परिचय	81–82
भारतीय संविधान मे संरक्षण	82
वाद निर्णय	82–83
शीघ्र सुनवाई का अधिकार	83–84
मुफत कानूनी सहायता का अधिकार	84–86
निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई की आवश्यक्ता	87–88
भारतीय कानून प्रणाली की खामियॉ	88–89
मुकदमे मे देरी के परिणाम	89

विलम्ब के उपाय 89–91

अध्याय 06
त्वरित न्याय पर भारतीय न्यायपालिका की दृष्टिकोण

6.1 न्यायपालिका की दृष्टिकोण 92–102

अध्याय 07
निष्कर्ष एवं सुझाव

7.1 निष्कर्ष 103–107
7.2 सुझाव 107–109

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 110
शोध पत्र 111
समाचार पत्र 111
केस लॉ सूची 112
इन्टरनेट लिंक 113

भारत में बालश्रम की विधिक एवं सामाजिक स्थिति : एक विश्लेषण

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर (विधि विभाग) की परीक्षा सत्र 2022–23
हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघुशोध प्रबंध

घ निर्देशक

ब्रजेश कुमार

हायक प्राध्यापक विधि विभाग)
जीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
ाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रस्तुतकर्ता

अर्चना तिर्की

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर
अनुक्रमांक –230440002
नामांकन क्रमांक –RGPGLLM/21/002

अध्ययन एवं शोध केंन्द्र

(विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की अर्चना तिर्की एल एल एम (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखत प्रस्तुत लघु शोध **भारत में बालश्रम की विधिक एवं सामाजिक स्थितिः एक विश्लेषण** इनकी मौलिक कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्यनरत रह कर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातोत्तर महाविद्यालय स्वस्सायी निकाय , अंबिकापुर एल एल एम की परीक्षा 2022-23 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रशन पत्र के रूप में प्रतुत करने हेतु तैयार किया गया है

स्थान अंबिकापुर

शोध निर्देशक:

श्री व्रजेश कुमार
(सहायक प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गॉधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा
(छत्तीसगढ़)

9/08/23

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	सम्पूर्ण शोध प्रबंध बालश्रम का सामान्य परिचय प्रस्तुत है।	1
1.1	परिचय।	1–5
1.2	साहित्य की समिक्षा।	6–8
1.3	समस्या की परिभाषा।	9–18
अध्याय 2	भारत में बालश्रम से संविधित कानून एवं अधिनियम।	19–25
2.1	बच्चों के लिए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान।	25–30
अध्याय 3	भारत में बालश्रम के समस्या का कारण एवं निवारण।	31–39
3.1	संवैधानिक ढांचा।	39–45
3.2	मौलिक अधिकार।	45–50
3.3	आवश्यक स्वतंत्रताएं जो आवश्य प्राप्त की जानी चाहिए।	51–52
3.4	भारतीय कारखाना संशोधन अधिनियम 1922।	53–55
3.5	संवैधानिक प्रावधान।	56–59
अध्याय 4	भारत मे बालश्रम की स्थिति के कारण सामाजिक प्रमाण।	60–62
4.2	अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन।	63–65
4.3	विनया घोषणा।	66–67
4.4	संयुक्त राष्ट्र।	68–70
4.5	उध्दोषणा।	71–73
4.6	राज्य हस्ताक्षरकार्ता और पार्टियॉ।	75–78
4.7	संरक्षण और विकास के लिए विश्व घोषण।	78–83
4.8	बालश्रम के पूर्व उन्मूलन का कार्यक्रम।	84–88
अध्याय 5	भारम में बालश्रम के संम्बन्ध में एक विशिष्ट संदर्भित मामलों का केस स्टडीज के माध्यम से विवेचना।	89–93
अध्याय 6	निष्कर्ष।	94
अध्याय 7	संन्दर्भ ग्रंथसूची।	

भारत में निजता का अधिकार : वैधता,आवश्यकता एवं विवाद

सत्र 2022-23

लघु शोध प्रबंध

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा.प्राध्यापक)

विधि विभाग

लघुशोध कर्ता :

उमेश्वरी सिंह

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – RGPG22M/21/020

रोल न. -23044018

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर , सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बध्द

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उमेश्वरी सिंह, एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"भारत में निजता का अधिकार : वैधता,आवश्यकता एवं विवाद "** इनकी कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बंधित राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2020-21 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर
दिनाँक 14/07/23

शोध निर्देशक :
पूनम सोनवानी
(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ. ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	**01-10**
1.1	विषय परिचय	2-5
1.2	साहित्य का पुनरवलोकन	5-6
1.3	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	7
1.3	शोध परिकल्पना	7
1.4	अध्ययन के उदेश्य	7-8
1.5	प्रस्तावित शोध पद्धति	8 -9
1.6	शोध की कार्यविधि	9
1.7	शोध की उपयोगिता	9
1.8	रुपरेखा	10
2	**निजता का अधिकार ,अवधारणा ,विवाद एवं आवश्यकता**	**11-37**
2.1	परिभाषा	12 -13
2.2	निजता: अवधारणा	13
2.3	निजता के अधिकार के रूप	14-15
2.4	निजता के अधिकार एवं मौलिक अधिकार	15
2.5	भूल जाने के अधिकार	15

2.6	अकेले रहने के अधिकार	16
2.7	आराम करने का अधिकार/राईट टू रिलैक्स	16
2.8	शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत	16
2.9	डेटा संरक्षण विधेयक, 2019	16-17
2.10	डेटा और उसका महत्त्व	17-18
2.11	डेटा स्थानीयकरण का मुद्दा	18-19
2.12	डेटा संरक्षण विधेयक संबंधी मुद्दे	19-20
2.13	डेटा संग्रहण संबंधी मौजूदा नियम	20
2.14	श्रीकृष्ण समिति का डेटा संरक्षण मसौदा	20-21
2.15	एतिहासिक पृष्टभूमि	21-23
2.16	गोपनीयता बनाम सूचना	24-25
2.17	निजता का अधिकार एवं उच्चतम न्यायलय	25-27
2.18	व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019	28
2.19	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	28
2.20	निजता का अधिकार एवं आवश्यकता	28-37
2.21	निजता का अधिकार: सुनवाई का घटनाक्रम	37-39
3	**निजता के अधिकार से सम्बंधित राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय विधियाँ**	**40-48**
3.1	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21	41-43
3.2	व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार	43
3.3	निजी स्वतंत्रता का अधिकार	43-44

3.4	मौलिक अधिकार और निजी स्वतंत्रता का अधिकार	45-46
3.5	निजता की अंतर्राष्ट्रीय अवधारणाएं	46
3.6	निजता का अधिकार-अनुमति प्रतिबंध	47
3.7	निजता और समाज के विभिन्न पहलुओं से इसका संबंध	47-48
4	**मानवाधिकार एवं निजता के अधिकार से सम्बन्धित न्यायिक दृष्टिकोण**	**49-72**
5	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	**73-77**
संदर्भ ग्रन्थ सूची		**78-80**

"आपराधिक विधि में साक्षी की सुरक्षा – समस्याएं व चुनौतियां"

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर (विधि विभाग) की परीक्षा सत्र 2022–23
हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघु शोध प्रबंध

शोध निर्देशक
डॉ. नीमा कमरे
सहा. प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

शोधकर्ता
विकास कुमार सिंह
एल एल एम. चतुर्थ सेमेस्टर
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

10/8/23

अध्ययन एवं शोध केंद्र
(विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की विकास कुमार सिंह एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग का नियमित छात्र के रूप में सन् 2022 2023 की मुख्य परीक्षा में लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय आपराधिक विधि में साक्षी की सुरक्षा– समस्याएं व चुनौतीयां राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के विधि विभाग में प्रस्तुत किया । इनका कार्य मौलिक है मैं इन्हें विधि विषय में उपाधि प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करती हूँ।

शोधकर्ता

विकास कुमार सिंह

शोध निर्देश

डॉ. नीमा कमरे

सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अम्बिकापुर

अनुक्रमणिका

अध्याय 1

- प्रस्तावना
- विषय वस्तु की भूमिका
- साहित्य पुनरावलोकन
- प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान
- शोध का उद्देश्य
- प्रस्तावित शोध पद्धत्ति
- शोध परिकल्पना

अध्याय 2

साक्षी की अवधारणा

- साक्षी का अर्थ
- अन्य देशो मे साक्षी की स्थिति

अध्याय 3

साक्षी की सुरक्षा की समस्या

(आ) पुलिस अन्वेषण एंव साक्षी की सुरक्षा

- अनुसंधान एजेंसी–
- पुलिससरंचना
- अन्वेषक मे पुलिस की समस्या
- पुलिस के वैधानिक कार्य

(ब) स्थल निरीक्षण

- नक्शा
- पहिचान
- विभिन्न न्यायालयो की शक्तियां

अध्याय 4

भारतीय आपराधिक विधि मे साक्षी को प्राप्त सुरक्षा

- साक्षी की जाँच
- व्यादेश जाँच को लम्बित करने के लिए
- जाँच का क्षेत्र एंव प्रक्रिया
- अन्वेषण के आधुनिक तरीके
- थर्ड डिग्री का उपयोग
- अपात्र पुलिसकर्मी
- अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे की वापसी

अध्याय 5

भारतीय न्यायालय एंव साक्षी की सुरक्षा

- तथ्यात्मक सविंधिक उपबन्ध
- परीक्षण के प्रकार
- न्यायालय द्वरा प्रति परीक्षण
- प्रति परीक्षण के समय न्यायालय का रुख या रवैया
- साक्षी का चरित्र

आध्याय 6

साक्षी को विरोधी पक्षकार से असुरक्षा

- पक्षद्रोही साक्षी
- पक्षद्रोही साक्षी की परिभाषा
- पक्षद्रोही साक्षी के कथन की स्वीकार्यता
- साक्षी कब पक्ष द्रोही घोषित किया जाता है
- पक्षद्रोही साक्षी होने के कारण
- पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन
- पक्षद्रोही साक्षी एंव विबंध का नियम
- पक्षद्रोही साक्षी के कथन का प्रभाव

अध्याय 7

अंतर्राष्ट्रीय विधि मे साक्षी की सुरक्षा

- अन्य राष्ट्रो में साक्षी को प्राप्त सुरक्षा
- (अ) विकासशील देशो मे साक्षी को प्राप्त सुरक्षा
- (ब) विकसित देशो मे साक्षी को प्राप्त सुरक्षा
- भारत मे साक्षी सुरक्षा कार्य क्रम के विभिन्न पहलू

अध्याय 8

- निष्कर्ष
- सुझाव

अपकृत्य विधि में क्षतिपूर्ति का व्याख्यात्मक अध्ययन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विशेष संदर्भ में"

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर (विधि विभाग) की परीक्षा सत्र 2022–23
हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघु शोध प्रबंध

शोध निर्देशक
डॉ. नीमा कमर
सहा. प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

शोधकर्ता
विरेन्द्र कुमार सिंह
एल एल एम. चतुर्थ सेमेस्टर
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

10/8/22

अध्ययन एवं शोध केंद्र
(विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की विरेन्द्र कुमार सिंह एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग का नियमित छात्र के रूप में सन् 2022-2023 की मुख्य परीक्षा में लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय अपकृत्य विधि में क्षतिपूर्ति का व्याख्यात्मक अध्ययन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विशेष संदर्भ में राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के विधि विभाग में प्रस्तुत किया । इनका कार्य मौलिक है मैं इन्हें विधि विषय में उपाधि प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करती हूं।

शोध निर्देश

डॉ. नीमा कमर

सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर

अनुक्रमणिका

अध्याय 1

प्रस्तावना संपूर्ण शोध प्रबंधक सामान्य प्रस्तुत

1.1 प्रस्तावना

1.2 विषय वस्तु की भूमिका

1.3 साहित्य पुनरावलोकन

1.4 प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान

1.5 शोध का उद्देश्य

1.6 प्रस्तावित शोध पद्धति

1.7 शोध परिकल्पना

अध्याय 2

क्षतिपूर्ति एवं उद्भव का विकास की अवधारणा

2.1 क्षतिपूर्ति एवं उद्भव का विकास

2..2 क्षतिपूर्ति की अवधारणा

2.3 अपकृत्य विधि की क्षतिपूर्ति

2.4 क्षतिपूर्ति का अध्ययन

2.5 अपकृत्य विधि की आवश्यक तत्व

2.6 क्षतिपूर्ति की संविदा

अध्याय 3

क्षतिपूर्ति का अर्थ, प्रकार, के प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन

3.1 क्षतिपूर्ति का अर्थ

3.2 क्षतिपूर्ति का प्रकार

3.3 क्षतिपूर्ति के प्रकृति एवं क्षेत्र

3.4 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति 1988

अध्याय 4

क्षतिपूर्ति के कारण एवं दूरस्थ क्षति क्या है

4.1 क्षति की दुरस्थता

4.2 क्षतिपूर्ति की दुरस्थता का सिद्धांत

4.3 क्षतिपूर्ति की विशेषताएं

4.4 क्षतिपूर्ति का सिद्धांत

4.5 क्षतिपूर्ति के कारण

4.6 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्षतिपूर्ति

4.7 पत्नी संतान और माता-पिता के भरण पोषण के लिए आदेश।

अध्याय 5

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति क्या है एवं आवश्यकता

5.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति क्या है एवं आवश्यकता

5.2 उपभोक्ता अदालत

5.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य

5.4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विशेषताएं

5.6 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आवश्यकता

5.7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकार

5.8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद की प्राप्ति एवं प्रक्रिया का अध्ययन

अध्याय 6

क्षतिपूर्ति का परीक्षण

क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के नियम

दोहरी कार्यवाही का नियम

क्षतिपूर्ति कब मिलती है

अध्याय 7

क्षतिपूर्ति संबंधी न्यायिक निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत

अध्याय 8

निष्कर्ष

सुझाव

भारत में परिवार न्यायालय की भूमिका एवं पारिवारिक वाद-विवाद निराकरण के विशेष संदर्भ में

सत्र - 2022 - 2023

लघु शोध प्रबंध

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

एलएल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर की उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध निर्देशक

श्री पंकज अहिरवार

सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)

प्रस्तुतकर्ता

रामकिशुन

एलएल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

अध्ययन एवं शोध केंद्र

(विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की रामकिशुन एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग का नियमित छात्र के रूप में सन् 2022- 2023 की मुख्य परीक्षा में लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय **"भारत में परिवार न्यायालय की भुमिका पारिवारिक वाद-विवाद के निराकारण के विशेष सन्दर्भ में"** राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के विधि विभाग में प्रस्तुत किया ।

इनका कार्य मौलिक है मैं इन्हें विधि विषय में उपाधि प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करता हूं।

शोधकर्ता
रामकिशुन

शोध निर्देशक
श्री पंकज कुमार अहिरवार
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर

अनुक्रमणिका

अध्याय 1	पेज नंबर
1.1प्रस्तावना	9
1.2 परिवार न्यायालय	10
1.3 परिवार न्यायालय(संशोधन) विधेयक 2022	10 -12
1.4 परिवार न्यायालय की विशेषताएं।	12 -13
1.5 परिवार न्यायालय कैसे संचालित होती है	13
1.6 परिवार	13 -14
1.7 परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं	14 -15
1.8 यार न्यायालय में किस तरह के मामले आते हैं	15 -16
अध्याय 2	17
2.1परिवार	18
2. 2विधि	18 -19
2.3 परिवार नियोजन	19
2.4 परिवार नियोजन के लाभ	19 -20
2.5परिवार नियोजन का महत्व	20
2.6 परिवार की विशेषताएं	20 -21
2.7 परिवार प्रकार	21 -24
2.8 नियोजन की विधियां	25 -29
अध्याय 3	30
3.1 विवाह संबंधी विवाद	31
3.2 विवाह संबंधी विवाद एवं परिवार	31 -33

न्यायालय की भूमिका	
3.3 परिवार न्यायालय की स्थापना एवं गठन एवं नियुक्तियां	33 -34
अध्याय 4	35
कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984	36 -48
कुटुंब न्यायालय (संशोधन)विधेयक 2022	48 -49
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 की विशेषताएं	49
भारत में कुटुंब न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	49 -50
भारत में कुटुंब न्यायालय की स्थिति	50
अध्याय 5	51
5 .1विवाह- विच्छेद (तलाक) एवम् भरण - पोषण	52
5.2 1955 हिंदू विवाह अधिनियम	52 -70
5.3 हिंदू समाज में विवाह विच्छेद	70 -71
5.3 मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद एवं तलाक़	70 -75
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939	75 -77
अध्याय 6	78
6.1 पारिवारिक न्यायालय का दैनिक जीवन में महत्व	79 -82
निष्कर्ष	83 -84
सुझाव	84 -85
संदर्भ ग्रंथ सूची	86

पोषणीय विकास की संकल्पना एवं मानवाधिकारः पर्यावरण संरक्षण विधियों के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सत्र 2022 - 23

लघु शोध प्रबंध

(एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघु शोध प्रबंध प्रश्न पत्र के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक
श्री माधवेंद्र तिवारी
सहा.प्रा.विधि विभाग
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ0ग0)

शोधकर्ता
कृष्ण कुमार
एल एल.एम.चतुर्थ सेमेस्टर
रोल न.230440006
नामां. क्र.RGPGLLM/21/007

राजीव गांधी शसकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छततीसगढ़, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से संबद्ध।

निर्देशक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृष्ण कुमार एलएल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर में मेरे निर्देशन में पोषणीय विकास की संकल्पना एवं मानवाधिकार पर्यावरण संरक्षण विधियों के विशेष संदर्भ में अध्ययन के रूप में लघु शोध के अंतर्गत प्रतिभागिता पूरी कर इस विषय पर राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा संचालित मास्टर ऑफ ला चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2022-23 के एक वैकल्पिक शोध प्रश्न पत्र के स्थान पर प्रस्तुत किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विषय विधि विभाग सहायक अध्यापक के रूप में मेरे द्वारा स्वीकृत है तथा इसे स्वयं छात्र ने पूर्ण किया है।

WPS Office

स्थान - अंबिकापुर
दिनांक

शोध निर्देशक
श्री माधवेंद्र तिवारी
सहा.प्रा. विधि विभाग
पीजी कॉलेज अंबिकापुर

अनुक्रमणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृ. सं.	
1	प्रस्तावना	9	
1.1	प्रस्तावना	9	
1.2	पोषणीय विकास का अर्थ	11	
1.3	पोषणीय विकास का उद्देश्–	11	
1.4	पोषणीय विकास की आवश्यकता	12	
1.5	पर्यावरण का ज्ञान	14	
1.6	पर्यावरण और पारितंत्र	16	
1.7	पर्यावरणीय समस्याएँ -	17	
1.8	संसाधन न्यूनीकरण-	17	
1.9	भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चिंतन	17	
1.10	पर्यावरण संरक्षण	18	
1.11	पर्यावरण संरक्षण की समस्या	18	
1.12	पर्यावरण संरक्षण का महत्व	18	
1.13	पर्यावरण संरक्षण का उपाय	19	
1.14	स्वतंत्र भारत में पर्यावरण नीतियां तथा कानून	20	
1.15	पर्यावरण और पारिस्थितिक पदचिन्ह पर मानव प्रभाव	21	
2	पोषणीय विकास की संकल्पना	22	
2.1	पोषणीय विकास की प्रकृति एवं स्वरूप	22	
2.2	कोकोयोक घोषणा 1974	23	
2.3	ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट	24	
2.4	पोषणीय विकास की संकल्पना	26	
2.5	साम्या और सामान्य हित	28	
2.6	योजनाबद्ध अज्ञापक तत्व	28	
2.7	सामान्य सिद्धांत	29	
2.8	सीमा पार प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय छेड़छाड़ के संबंध में	30	
2.9	राज्य उत्तरदायित्व	31	
2.10	विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा	32	

2.11	पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग का निष्कर्ष	32	
2.12	आयोग के कार्यान्वयन हेतु आह्वान	32	
2.13	पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989	34	
2.14	पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 पृथ्वी शिखर	38	
2.15	रियो घोषणा	39	
2.16	पोषणीय विकास की व्युत्पनी सिद्धांत	42	
2.17	पोषणीय विकास संबंधी सिद्धांत	44	
2.18	पोषणीय विकास की प्रभावकारिता में उत्तर दक्षिण विवाद की भूमिका	56	
3	भारत में पोषणीय विकास की संकल्पना एवं मानवाधिकार	59	
3.1	मानवाधिकार की परिभाषा	59	
3.2	मानवाधिकार की उत्पत्ति	60	
3.3	स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार	61	
3.4	अंतरराष्ट्रीय प्रयास	63	
3.5	पर्यावरण मुद्दों से निपटने वाले भारतीय कानून	64	
3.6	पर्यावरण नीति स्टॉकहोम के बाद की अवधि 1972 के बाद	65	
3.7	संवैधानिक प्रावधान	65	
3.8	मौलिक कर्तव्य	66	
3.9	मौलिक अधिकार	66	
3.10	पर्यावरण संरक्षण कानून	67	
3.11	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,	67	
4	पोषणीय विकास एवं न्यायिक दृष्टिकोण	69	
4.1	पोषणीय विकास	69	
4.2	न्यायिक दृष्टिकोण	72	
5	निष्कर्ष एवं सुझाव	77	
5.1	निष्कर्ष	77	
5.2	सुझाव	79	
	संदर्भ ग्रंथ सूची	82	

बालको के लैंगिक शोषण के विरुद्ध विधियों के अंतर्गत सुरक्षात्मक प्रावधान एवं उनका प्रभाव : एक विश्लेषण

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर (विधि विभाग) की परीक्षा सत्र 2022–23
हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघुशोध प्रबंध

शोध निर्देशक

श्री देव प्रकाश दुबे

(सहायक प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रस्तुतकर्ता

रोशनी सिंह

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर
अनुक्रमांक –230440013
नामांकन क्रमांक –RGPGLLM/21/014

10/8/25

अध्ययन एवं शोध केंन्द

(विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की रोशनी सिंह एल एल एम (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखत प्रस्तुत लघु शोध **बालको के लैंगिक शोषण के विरुद्ध विधियों के अंर्तगत सुरक्षात्मक प्रावधान एवं उनका प्रभाव : एक विश्लेषण** इनकी मौलिक कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्यनरत रह कर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के से सम्वन्ध राजीव गाँधी स्नातोत्तर महाविद्यालय स्वस्सायी निकाय,अंविकापुर एल एल.एम की परीक्षा 2022-23 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रशन पत्र के रूप में प्रतुत करने हेतु तैयार किया गया है

स्थान – अंविकापुर

शोध निर्देशक:

श्री देव प्रकाश दुबे

(सहायक प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गॉधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंविकापुर सरगुजा

(छत्तीसगढ़)

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	बालको के लैंगिक शोषण का सामान्य परिचय प्रस्तुत है।	1
1.1	परिचय।	1–2
1.2	परिकल्पना	2–3
1.3	अध्ययन के उद्देश्य	3–4
1.4	बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की परिभाषा एवं प्रकार	5–6
1.5	बाल यौन शोषण	7
अध्याय 2	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ऐक्ट, 2012)	
2.1	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।	9–13
2.2	मौजूदा विधिक ढांचे में चिकित्सकों की भूमिका	14–15
2.3	कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां और विवाद।	15–17
2.4	POCSO कानून, 2012 में दिए गए अपराध के प्रकार तथा दंड प्रावधान।	17–18
2.5	POCSO कानून की मुख्य विशेषताएं/प्रावधान।	18–20
अध्याय 3	बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आवश्यक बातें।	
3.1	बाल विवाह	21
3.2	मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका	21–22
3.3	रिपोर्टिंग	22
3.4	बाल लैगिंक शोषण	23–27

3.5	व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे अपने बच्चों को सिखाएं क्योंकि आप उनके सबसे अच्छे शिक्षक हैं:	28–29
अध्याय 4	बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के नियम / दिशा–निर्देश सिखाएँ।	
4.1	चरण 1: यह पहचानना कि बच्चे के साथ लैंगिक शोषण किया गया है।	31–32
4.2	चरण 2: शोषण के बारे में बात करने में बच्चे की मदद करना।	32–33
4.3	बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के तरीके	34–38
अध्याय 5	शिक्षा	39
5.1	शिक्षा।	39–41
5.2	शिक्षा के प्रकार।	41–44
5.3	शिक्षण के स्तर।	44–45
अध्याय 6	बाल यौन दुर्व्यवहार शोषण सामग्री।	46
6.1	अपराधी और उनकी कार्यप्रणाली।	47–48
6.2	यौन उद्श्यों के लिए ऑनलाईन ग्रूमिंग।	48–50
6.3	सेक्सिटंग।	51–53
6.4	यौन एक्सटोर्षन।	53–56
अध्याय 7	अपराधी और उनकी कार्यप्रणाली।	57
7.1	आपराधिक दोष।	58–59
7.2	कानूनी।	59–60
7.3	शोध पद्वति।	60–61
7.4	शोध की कार्यविधि।	61–63
7.5	बाल लैंगिक शोषण	63–66
7.6	बाल लैंगिक शोषण पर मुख्य तथ्य।	66–67
अध्याय 8	महत्वपूर्ण संबंधित मामले।	68
8.1	भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश और अन्य, एआईआर 2021।	68

8.2	सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021)।	68
8.3	लिबनस बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021)।	69–69
8.4	अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 2018।	69–72
अध्याय 9	निष्कर्ष।	73
अध्याय 10	संदर्भ ग्रन्थ सूची।	74

"महिलाओं के सशक्तिकरण पर मानवधिकार एवं समाज का प्रभाव"

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग की परीक्षा सत्र 2022–23

हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

लघु शोध प्रबंध

शोध निर्देशक

श्री. देव प्रकाश दुबे

सहा. प्राध्यापक (विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महा.

अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

शोधकर्ता

शिल्पा पाण्डेय

एल एल एम. चतुर्थ सेमेस्टर

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महा.

अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

अध्ययन एवं शोध केंद्र

(विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महा. अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है की **शिल्पा पाण्डेय एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर विधि विभाग** की नियमित छात्रा है। इन्होने मेरे निर्देशन में लघु शोध प्रबंध **"महिलाओं के सशक्तिकरण पर मानवधिकार एवं समाज का प्रभाव"** का अध्ययन पूर्ण किया है।

इनका कार्य मौलिक है मैं इन्हें विधि विषय में उपाधि प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करता हूँ।

निर्देश

श्री. देव प्रकाश दुबे

सहा. प्राध्यापक (विधि विभाग)

शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.।

छात्रा का नाम

शिल्पा पाण्डेय

विषय–सूची

अध्याय– 1

1. प्रस्तावना
2. उद्देश्य
3. परिकल्पना
4. शोध पद्धति
5. शोध की कार्यावधि

अध्याय–2

1. महिलाएं और विधि
2. भारत का संविधान और महिलाएं
3. विभिन्न अधिनियम
4. उच्चतम न्यायालयों की भूमिका–महिलाओं की अधिकारों के संरक्षा के संबंध में

अध्याय–3

1. निष्कर्ष
2. सुझाव
3. सन्दर्भ ग्रंथ